



खान मंत्रालय

भारत सरकार का खान मंत्रालय 'अपतटीय इलाकों के खनिज (विकास और नियंत्रण) संशोधन विधेयक 2017' के प्रारूप पर सुझावों का स्वागत करता है

Posted On: 01 SEP 2017 8:34PM by PIB Delhi

खान मंत्रालय ने ये प्रारूप 2002 के कानून में संशोधन हेतु तैयार किया है. कानून बनने से पहले सलाह नीति के तहत उस कानून के प्रारूप को एक व्याख्यात्मक नोट के साथ मंत्रालय की वेबसाइट (www.mines.gov.in) और इस सूचना के नीचे भी संलग्न किया है. इस पर आम जनता, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, खादान से जुड़े उद्योगों, निवेशकों, औद्योगिक इकाइयों और दूसरे संबंधित समूहों की टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत है. अपनी टिप्पणी या सुझाव एमएस वर्ड फाइल में लिखकर इस ईमेल आईडी- **pv.kumar70@nic.in** पर भेजें. इस मेल का विषय- "Comments/suggestions on OAMDR (Amendment) Bill, 2017" रखें. साथ ही ये सुझाव डाक के माध्यम से इस पते पर भी भेजे जा सकते हैं-

वीना कुमार डेरमल, निदेशक

खान मंत्रालय

कमरा नं 308, डी-विंग

शास्त्री भवन

डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड़

नई दिल्ली- 110001

लिफाफे के ऊपर भी लिखें- **"Comments/suggestions on OAMDR (Amendment) Bill, 2017"**.

वीके/पीकेडी/एल -3547

(Release ID: 1501508) Visitor Counter : 19

